(1) L.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher in Sub: Evidence

न्यायालय या न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय के समक्ष जितने सुसंगत विवाद्यक तथ्य होते हैं वे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किये जाते हैं। इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं। जिन तथ्यों के विषय के पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है और जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा (Judicial Notice) कर सकता है और जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

वह धारा केवल इतना कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अगली धारा उन तथ्यों का वर्णन करती है जिसकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय कर सकती है।

न्यायिक अवेक्षा — कुछ तथ्य ऐसे प्रसिद्ध या सुप्रतिष्ठित (Well-established) होते हैं उनके अस्तित्व को साबित करना जरूरी नहीं रह जाता।
न्यायालय उसके अस्तित्व का स्वयं ही संज्ञान (Congnizance) ले लेता है।

Scanned with CamScanner

धारा 57 के अधीन किसी तथ्य का अस्तित्व प्रश्नगत
होजाता है तो पक्षकार उसके अस्तित्व या
अनस्तित्व को प्रतिपादित करता है उसको उस
विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है।
न्यायालय स्वयं सम्बन्धित सामग्री का सहारा
लेता हुआ यदि उसका नीजि ज्ञान उसका
सहायक नहीं हो पाता, उक्त प्रश्न पर निर्णय
लेना और यदि वह ऐसा करना आवश्यक
समझे तो वह पक्षकारों से सहायता करने
को कहेगा। किन्तु इस प्रकार की न्यायिक
अवेक्षा का आवश्यक नहीं
कि वह साक्ष्य नियमों
होगा। न्यायालय किसी भी ग्रन्थ को अवलोकन
कर सकता है उसे प्रमाणता लेने के लिये पृष्ठ
साक्ष्य का सहारा है।

न्यायालय के निर्णय और अधिनियम
के तथा उसके उपबन्धों और अधिनियम
अधिसूचनाओं और सरकारी के अधिकारियों के
अधिकार और प्रयोग की जाने वाले सब
आवश्यकताओं घोषणाओं और उसके निकाय उपसभाओं
होने पर करने के लिये किसी विधि
द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम
लोक इतिहास साहित्य विज्ञान
या कला के सब विषयों को न्यायालय
समुचित निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों
का सहारा ले सकता है।

बयान के जो बातें उसके विरुद्ध कही हैं उन पर उसकी प्रतिपरीक्षा कर ले।

साक्षी की विश्वसनीयता पर

आक्षेप किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्न प्रकार से आक्षेप किया जा सकता है ...

उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं।

यह साबित किये जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत ग्रहण करने के लिये अभ्यक्त हो गया है।

यह कि साक्ष्य देने वाला प्रेरणा मिली है।

उसके साक्ष्य के किसी भाग से जिसका खण्डन किया जा सकता है। कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी की विश्वसनीयता के लिये अपात्र घोषित करता है। अपने मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताये किन्तु प्रतिपरीक्षा उससे सवाल किया जा सकता है, और जाती है।